<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–367/2019</u>

प्रमोद कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

कामेश्वर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>05.04.21</u> उभय पक्ष की पैरवी है। हस्तक्षेपक आवेदक की ओर से एक आवेदन दिनांक 13.10.2020 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादी की ओर से दिनांक 06.03.21 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

हस्तक्षेपक आवेदक का अपने आवेदन में कहना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र के मद नं0–2 की भूमि पर स्वत्व व कब्जा घोषित करने हेतु लाया गया है। यह कि हस्तक्षेपक आवेदक द्वारा वाद की जानकारी होने पर पक्षकार बनाने हेतु दिनांक 19.09.20 को आवेदन दाखिल किया गया है, जो लंबित है तथा टंकक की भूलवश आवेदन में कुछ बातें टाइप करना छूट गया है जिसकी मरम्मती जरूरी है। यदि मरम्मती आवेदन स्वीकृत नहीं होता है तो हस्तक्षेपक को क्षति हो सकती है। अतः आवेदन में वर्णित बिंदुओं पर मरम्मती करने की अनुमति दी जाय। हस्तक्षेपक आवेदक का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है।

इस संबंध में वादी का कहना है कि आवेदक का आवेदन कानून की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है। यह कि हस्तक्षेपक द्वारा दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहित के तहत दिनांक 19.09.20 में संशोधन का निवेदन किया गया है जबकि संशोधन किसी पक्षकार द्वारा दिए गए अभिवचन में संशोधन का प्रावधान है। हस्तक्षेपक द्वारा दिया गया आवेदन अभिवचन की श्रेणी में नहीं आता है। यह कि विवादित भूमि वादी के पूर्वज बालदेव साह द्वारा दिनांक 27.08.1948 द्वारा बयनामा दस्तावेज से क्रय की गई भूमि है तथा आपसी पारिवारिक व्यवस्था में वादी को प्राप्त है तथा दाखिल खारिज के उपरान्त वादी के पक्ष में जमाबंदी कायम है। यह कि उपरोक्त आवेदक वादग्रस्त भूमि के निस्वत अधिकारविहीन व्यक्ति है तथा वादी को परेशान करने के उद्देश्य से तथा मुकदमा के निष्पादन को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया है। अतः हस्तक्षेपक आवेदक का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि हस्तक्षेपक आवेदक दिनांक 19.09.2020 को दाखिल आवेदन में संशोधन करना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। अतः न्याय हित में हस्तक्षेपक आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत आवेदन में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 01.05.2021

अवर न्यायाधीश(प्रथम)